हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015/13 अग्रहायण,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) तारांकित:

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) अतारांकित :

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री
   कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **सदन की समिति का प्रतिवेदन :**

   श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),
   समिति का **51वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 0-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.7 से 3 .14 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज**, "तहसील शिमला के अन्तर्गत शोघी, लगवी, थड़ी व अन्य पंचायतों में पशुओं की मुंह-खुर व गलघोटू बीमारी के कारण हो रही मौतों " से उत्पन्न स्थिति की ओर **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री हंस राज**, "जिला चम्बा के कीड़ी नामक स्थान पर सरकारी जंगल में हुए पेड़ों के अवैध कटान" से उत्पन्न स्थिति की ओर **वन मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 22)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 23)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह(10-देहरा),** गुलेर-जलरियां-नंदपुर-भटोली-नगरोटा सूरियां निर्माणाधीन सड़क का कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई),** शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक सड़कों को जनहित में पास कर उन पर शीघ्रातिशीघ्र बस सुविधा उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हलोनीपुल-हाबण-शलेच कैंची सड़क की डी0पी0आर0 जनहित में शीघ्रातिशीघ्र तैयार करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 A (अब-105) नालागढ़ से स्वारघाट सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक सड़कों का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5- भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत तोरनू नाले पर बनने वाले पुल की जनहित में डी0पी0आर0 तैयार कर इसके निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री गोविन्द राम शर्मा (50- अर्की),** अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री रिखी राम कौंडल (46- झण्डुता),** जिला बिलासपुर के उपराला मुहाल कोसरिया, तहसील सदर में दिनांक 24 मार्च, 1996 को राजस्व अधिकारियों द्वारा ज़मीन की किस्म को बदलने के आदेश को जनहित में दुरूस्त करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री रविन्द्र सिंह(10-देहरा),** एफ0आर0यू0 अस्पताल, देहरा में चिकित्सकों तथा अन्य पैरा-मैडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने तथा उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री गोविन्द राम शर्मा (50-अर्की),** अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सिविल अस्पताल, कुनिहार, सी0एच0सी0 दाड़ला व एफ0आर0यू0, अर्की में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **डॉ0 राजीव सैज़ल (54-कसौली),** कसौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव धार को जनहित में स्पाटू लाईन से विद्युत आपूर्ति शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(12) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को जनहित में रोजगार उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>:

(1) **श्री रविन्द्र सिंह**
श्रीमती आशा कुमारी
श्री संजय रतन
श्री अजय महाजन
श्री बलबीर सिंह वर्मा } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में हुए विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।"

(2) **डॉ0 राजीव बिन्दल,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215
दिनांक: 3 दिसम्बर, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)